न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/45/2019

रामनारायण पुत्र श्री नत्थी जाति ब्राहम्मण निवासी मोरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

देवकीनन्दन पुत्र श्री नत्थीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी मोरोली डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रूपवास श्री कमल सिंह यादव वमुकदमा देवकीनन्दन बनाम रामनारयण संख्या 178/2013 अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट

निर्णय **दिनांक 14.01.2020**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि एक दावा देवकीनन्दन बनाम रामनारयण उपखण्ड अधिकारी रूपवास के न्यायालय में विचाराधीन है, जो विभाजन से संबधित है। पटवारी हल्का ने प्राथमिक डिक्री के विपरीत अप्रार्थी से साज करके मौके के विपरीत न्यायालय में कुरे भेजे गए हैं इस बावत प्रार्थी ने न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थीं तो उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी की आपत्तियों पर बिना गौर किये ही खारिज कर दी । उपखण्ड अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है । इसकी पुष्टि दिनांक 25.11.2019 को अप्रार्थी द्वारा दी गई धमकी से भी होती है कि वह दावा उसके मनमाफिक बनाये गए कुरे के आधार पर डिक्री करा लेगा । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रूपवास के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी रूपवास से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित

आए । उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी रूपवास के न्यायालय में विचाराधीन दावा उनवानी देवकीनन्दन बनाम रामनारायण में प्राथमिक डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की गई। जिसमें अप्रार्थी ने पटवारी हल्का से साज कर मौके के विपरीत कुरे बनवाये गये हैं। इस बाबत् प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई किन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आपत्तियों पर कोई गौर न करके खारिज कर दी गई और उपखण्ड अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उन्हें इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करना है। उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थी से साज करके प्रकरण का निस्तारण करना चाहते हैं। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी रूपवास के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 178/2013 उनवानी देवकीनन्दन बनाम रामनारायण अन्तर्गत धारा 53–188 आर. टी.ए में न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2016 को पारित की गई। जिसकी अपील प्रार्थी राम नारायण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 को खारिज की गई है। तत्पश्चात कुरा रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। दावा अन्तिम निर्णय की स्टेज पर है। चूंकि प्रार्थी भरतपुर रहता है और वह विवादित आराजी के अच्छी किस्म के हिस्से पर मनवट के आधार पर काबिज हैं। इसी उद्देश्य से वह बार–बार विभिन्न अदालतों में अपील पेश करता रहता है। प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। प्रकरण को येन केन प्रकारेण लम्बित रखना चाहता है। यह प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बित करने की नीयत से पेश किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रूपवास के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी देवकीनन्दन बनाम रामनारायण विभाजन से सम्बन्धित है । विवादित आराजी में

उभयपक्ष संयुक्त रूप से सहखातेदार कृषक हैं । प्रकरण में प्राथमिक डिक्री भी न्यायालय द्वारा पारित की जा चुकी है । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो । प्रार्थी की मंशा विचाराधीन प्रकरण को लम्बित किये जाने की प्रतीत होती है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रूपवास को प्रषित की जावे

निर्णय आज दिनांक 14–01–2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.01.16 16:16:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: